भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 921

सोमवार, 29 जुलाई, 2024 / 7 श्रावण, 1946 (शक)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना

921. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत छह महीने की अवधि में लगभग 21 प्रतिशत ग्राहक कम हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत अपेक्षित अंशदान राशि असंगठित श्रमिकों, विशेषकर कम आय और अनियमित आय वाले श्रमिकों के लिए वहनीय बनी रहे;

(घ) क्या सरकार पीएम-एसवाईएम योजना का लाभ प्राप्त करने में असंगठित श्रमिकों के समक्ष आने वाली चिंताओं और चुनौतियों, जैसे कि दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं और नामांकन केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का समाधान करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ): प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत आदिनांक 50.12 लाख से अधिक पंजीकरण किए गए हैं। हालांकि**,** 20,478 स्वैच्छिक रूप से बाहर हो गए हैं**,** 509 अनैच्छिक रूप से (मृत्यु का मामला) बाहर हो गए हैं और 2,396 ने दिनांक 30 जून 2024 तक अपनी किश्तों को पुनः आरंभ किया है।

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जो निधि प्रबंधक है और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) जिनके माध्यम से मानधन पोर्टल में पंजीकरण किया जाता है के साथ मुद्दों, यदि कोई हों, को हल करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

******